

कार्यालय मुख्य अभियंता (पश्चिमी क्षेत्र) ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उत्तर प्रदेश लखनऊ।

पत्रांक- 1111 / ग्रा0अ0से0 / लेखा-ठेके0पंजी0-10 / 2018-19 / दिनांक- 23.01 - 2019

पंजीकरण संख्या-401 / श्रेणी 'बी' / मार्ग निर्माण / 2019

—::— पंजीकरण प्रमाण पत्र —::—

अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परिमण्डल-बरेली के पत्रांक-2029 दिनांक-19.01.2019 से प्राप्त श्री नेत्रपाल सिंह, निवासी-ग्राम भजनई पोस्ट राजपुर कला जनपद-बरेली का श्रेणी-"बी" में पंजीकरण सम्बन्धी प्रपत्रों के सत्यापन/संस्तुति के आधार पर श्री नेत्रपाल सिंह, निवासी-ग्राम भजनई पोस्ट राजपुर कला जनपद-बरेली को ग्रामीण अभियंत्रण विभाग में मार्ग निर्माण कार्य के लिये श्रेणी-"बी" में ठेकेदारी हेतु दिनांक-30.06.2021 तक की अवधि के लिए एतद्वारा पंजीकृत किया जाता है।

यह प्रमाण पत्र ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, पश्चिमी क्षेत्रान्तर्गत उत्तर प्रदेश के राजस्व मण्डल-बरेली, मुरादाबाद, मेरठ, सहारनपुर, आगरा, अलीगढ़, चित्रकूटधाम बॉदा एवं झॉसी के जनपदों में मान्य होगा तथा इसकी वैधता दिनांक-30.06.2021 के बाद स्वतः समाप्त समझी जायेगी।

नवीनीकरण हेतु प्रार्थना पत्र अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-बरेली के कार्यालय में वैधता तिथि समाप्त होने के दो माह पूर्व प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

(रवीन्द्र सिंह गंगवार)  
मुख्य अभियन्ता (प0क्ष0)।

पत्रांक एवं दिनांक-उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-बरेली।
- 2- अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परिमण्डल-बरेली।
- 3- समस्त अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उत्तर प्रदेश को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि सम्बन्धित आदेश की प्रति अपने स्तर से अधीनस्थ प्रखण्ड/पीआईयू को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- 4- मुख्य अभियन्ता (पूर्वी क्षेत्र) ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
- 5- निदेशक एवं मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, (मानी0 / नियो0) उ0प्र0 लखनऊ।
- 6- श्री नेत्रपाल सिंह, निवासी-ग्राम भजनई पोस्ट राजपुर कला जनपद-बरेली (मो0नं0-9412605949 ई-मेल [netrapal1961bly@gmail.com](mailto:netrapal1961bly@gmail.com)) को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि यदि प्रस्तुत अभिलेखों में आप द्वारा किसी प्रकार का संशोधन/परिवर्तन किया जाता है, तो उसकी सूचना सुसंगत अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियों सहित तत्काल इस कार्यालय को दी जाये तथा अभिलेखों में इंगित पते/ई-मेल पर भेजा गया पत्र आपको प्राप्त हुआ माना जायेगा।
- 7- अवर अभियन्ता (प्राविधिक), कार्यालय मुख्य अभियन्ता (प0क्ष0) ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि फर्म/ठेकेदार के पंजीकरण की इण्ट्री वेबसाइट पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें।



(नेत्रपाल सिंह)

मुख्य अभियन्ता (प0क्ष0)।